

वर्ल्ड मानवाधिकार दविस

प्रलिस के लयि:

वर्ल्ड मानवाधिकार दविस, वर्ल्ड मानवाधिकार दविस, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जन धन योजना

रुपे कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

मेन्स के लयि:

वर्ल्ड मानवाधिकार दविस और वर्ल्ड में मानवाधिकारों की स्थिति

चर्चा में क्यों

वर्ल्ड भर में प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दविस का आयोजन कया जाता है ।

- इस वर्ष की शुरुआत में जारी 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021' की रिपोर्ट में भारत का दर्जा 'स्वतंत्र' से घटाकर 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' कर दिया गया था ।

प्रमुख बडि

■ मानवाधिकार दविस

○ परिचय:

- 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया था ।
 - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के तहत मानवीय दृष्टिकोण और राज्य तथा व्यक्तिके बीच संबंध को लेकर कुछ सामान्य बुनियादी मूल्यों का एक सेट स्थापति कया है ।

○ वर्ष 2021 की थीम::

- "समानता - असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना" ("EQUALITY-Reducing inequalities, advancing human rights") ।

○ उद्देश्य:

- समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देना । प्रत्येक व्यक्तिके जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति के भिन्न होने के बावजूद मानवाधिकारों का हकदार है ।

■ मानवाधिकार:

- सरल शब्दों में कहें तो मानवाधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव कयि बिना सभी को प्राप्त होते हैं ।
- मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्तिका अधिकार, अभिव्यक्तिके स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं ।
- मानवाधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, 'लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है ।'

■ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमय और नकिया:

○ मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR):

- इसके अंतर्गत अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित कुल 30 अनुच्छेदों को सम्मिलित कया गया है, जसमें जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं ।
 - भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के पूरापण में सक्रिय भूमिका नभाई थी ।
- यह किसी भी प्रकार की संधि नहीं है, अतः यह प्रत्येक तौर पर किसी भी देश के लिये कानूनी दायित्व नरिधारित नहीं करता है ।
- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR), इंटरनेशनल कान्वेंट ऑन सविलि एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कान्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट तथा इसके दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल्स को संयुक्त रूप से 'अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार

वधियक' (International Bill of Human Rights) के रूप में जाना जाता है।

○ **अन्य अभिसमय:**

● इसमें शामिल हैं:

- कन्वेंशन ऑन द प्रविशन एंड पनशिमेंट ऑफ़ द क्राइम ऑफ़ जेनोसाइड (वर्ष 1948)
- इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलमिनिशन ऑफ़ ऑल फॉर्म ऑफ़ रेसयिल डिसक्रिमिनिशन (वर्ष 1965)
- कन्वेंशन ऑन द एलमिनिशन ऑफ़ ऑल फॉर्म ऑफ़ डिसक्रिमिनिशन अगेन्सट वमिन (वर्ष 1979)
- बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (वर्ष 1989)
- वकिलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (वर्ष 2006)

● ध्यातव्य है कि भारत इन सभी कन्वेंशन्स का हस्सा है।

○ **मानवाधिकार परषिद:**

● मानवाधिकार परषिद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो कि मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण की दशा में कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य देशों से मलिकर बनी है, जिनका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है।

● **सार्वभौमिके आवधिके समीकषा** (UPR) प्रकथिा को मानवाधिकार परषिद का सबसे अनूठा प्रयास माना जाता है। इस अनूठे तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक चार वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीकषा की जाती है।

● मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) मानवाधिकार परषिद के सचवालय के रूप में कार्य करता है।

○ **एमनेस्टी इंटरनेशनल :**

● यह मानवाधिकारों की वकालत करने वाले कुछ स्वयंसेवकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

भारत में मानवाधिकार

■ **संवैधानिके प्रावधान:**

○ मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) में उल्लिखित लगभग सभी अधिकारों को भारतीय संविधान में दो हस्सों (**मौलिके अधिकार** और **राज्य के नीत-नरिदेशक सदिधांत**) में शामिल किया गया है।

● **मौलिके अधिकार:** संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के वरिद्ध अधिकार, धार्मिके स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शकिषा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिके उपचारों का अधिकार शामिल है।

● **राज्य के नीत-नरिदेशक सदिधांत:** संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें सामाजिक सुरकषा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के वरिद्ध सुरकषा, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनविर्य शकिषा का अधिकार तथा मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार आदि शामिल हैं।

■ **सांवधिके प्रावधान:**

○ मानवाधिकार संरक्षण अधनियिम, 1993 में केंद्रीय स्तर पर एक **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के गठन की बात कही गई है, जो कि संविधान में प्रदान कथि गए मौलिके अधिकारों के संरक्षण और उससे संबंधिते मुद्दों के लथि राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों का मार्गदर्शन करेगा।

■ **संबंधिते पहलें:**

○ **गरीबों के लथि:**

- [जन धन योजना](#)
- [रुपे कार्ड](#)
- [उज्जवला गैस कनेकशन](#)
- [पीएम-केयर फॉर चलिड्रन' योजना](#)

○ **दवियांगजनों के लथि:**

- [दवियांग व्यक्तियों को सहायता योजना](#)
- [सुगम्य भारत अभयान: दवियांगजनों के लथि सुगम वातावरण का नरिमाण](#)
- [दीनदयाल वकिलांग पुनरवास योजना](#)

○ **प्रवासयिों के लथि:**

- [एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड](#)

स्रोत: डाउन टू अर्थ